न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :72/2020

वादीगण–

1. भुगानाराम
2. भुराराम
3. श्रवणराम पुत्रगण शिवजीराम

जातियान–जाट निवासीगण–गेलोली,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शांति
2. सोनी
3. आयू पुत्रियां शिवजीराम

जातियान–जाट निवासीगण–गेलोली, तहसील जायल (नागौर)

4. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित ।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 16/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा गेलोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 110 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा नं. 113/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खसरा नं. 30 रकबा 2.6385,खसरा नंबर 874/30 रकबा 0.0486 गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 हैक्टेयर, खसरा नंबर 98 रकबा 1.6430 हैक्टेयर, खसरा नंबर 99 रकबा 1.0522 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2070 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 भुगानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.0522 हैक्टेयर पुरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 1.4112,117 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 भूराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 98 रकबा 1.6430 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 113/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पुरा, खसरा नंबर 110 रकबा 0.3480 पुरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 0.8174,637 हैक्टेयर

16/05/22

नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 3 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 2.6385 पुरा, खसरा नंबर 874/30 रकबा 0.0486 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 1.3030,852 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवाह हो चुका है अपने ससुराल में रहती है उन्होने अपना हिस्सा प्रेम एवं स्नेह के कारण वादीगण को दे दिया है, उक्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम कोई बंट नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। राजीनामा एवं ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह भुगानाराम पुत्र शिवजीराम, शांति पुत्री शिवजीराम, आयू पुत्री शिवजीराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम गेलोली तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 475 प्रदर्श-1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा/ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा/ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.03.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

सहायक कलक्टर जायल (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.03.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है न हि भूमि रखे जाने के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिये भूमि अन्तरण का मामला प्रतीत होता है। हमारी राय में मौजा गेलोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 99,98,113/1,110,30,874/30 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 95, की भूमि का माफिक ईकबाली जबाव अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 95 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 10.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 10.08.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 19 दिनांक 18.11.2021 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादीगण भुगानाराम, भूराराम, श्रवणराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान रफीक खान, सुरेन्द्र, मड़राम, मदनलाल, [illegible]राम तथा निरीक्षक भू.अ वृत लूणसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा गेलोली के खेत खसरा नंबर 95, 98, 99, 110, 30, 874/30, 113/1 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा वादपत्र अनुतोष एवं तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 72/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00107
भुगानाराम वगैरह बनाम् शांति वगैरह

– : : आदेश : : –

यत वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गेलोली के खेत खसरा नंबर 95, 98, 99, 110, 30, 874/30, 113/1 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सहखातेदार घोषित करते हुये तथा वादपत्र अनुतोष एवं तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भुगानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.0522 हैक्टेयर पुरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से रकबा 1.2385 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 भूराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 98 रकबा 1.6430 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 113/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पुरा, खसरा नंबर 110 रकबा 0.3480 पुरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 0.8174 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 2.6385 पुरा, खसरा नंबर 874/30 रकबा 0.0486 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ पूरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 1.3030 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवाह हो चुका है अपने ससुराल में रहती है उन्होने अपना हिस्सा प्रेम एवं स्नेह के कारण वादीगण को दे दिया है, उक्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम कोई बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क लिये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सर इजलास सुनाया गया।

16/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

अतिंम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 72/2020

वादीगण–

1. भुगानाराम
2. भुराराम
3. श्रवणराम पुत्रगण शिवजीराम
   जतियान–जाट निवासीगण–गेलोली,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शांति
2. सोनी
3. आयू पुत्रियां शिवजीराम
   जातियान–जाट निवासीगण–गेलोली, तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित ।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गेलोली के खेत खसरा नंबर 95, 98, 99, 110, 30, 874/30, 113/1 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा वादपत्र अनुतोष एवं तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भुगानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.0522 हैक्टेयर पुरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से रकबा 1.2385 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 भूराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 98 रकबा 1.6430 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 113/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पुरा, खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर जायल (सि.डी.ओ.)

16/05/2022

110 रकबा 0.3480 पुरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 0.8174 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

3. वादी संख्या 3 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 2.6385 पुरा, खसरा नंबर 874/30 रकबा 0.0486 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ पूरा, खसरा नंबर 95 रकबा 3.3589 में से 1.3030 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवाह हो चुका है अपने ससुराल में रहती है उन्होने अपना हिस्सा प्रेम एवं स्नेह के कारण वादीगण को दे दिया है, उक्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम कोई बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क लिये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/05/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

16/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल